न्यायालय, उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन भू.अभिलेख अधिकारी, जैतारण (जिला–पाली) राज0

पीठासीन अधिकारी : **श्री डॉ. भास्कर बिश्नोई, आर0ए0एस0**
राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या : **414/2018**
GCMS NO. : **2018/00255**

–:: प्रार्थीगण ::–

1. धनसिंह राठौड़ पुत्र करणसिंह राठौड़ जाति–राजपूत
2. खिंवसिंह राठौड़ पुत्र करणसिंह राठौड़ जाति– राजपूत
निवासीगण–बैड़कल्ला, तह–जैतारण जिला–पाली राज0।

बनाम

–:: अप्रार्थीगण ::–

1. तहसीलदार, जैतारण जिला–पाली राज0।
2. भवानी सिंह पुत्र पाबुसिंह जाति– राजपूत, निवासी– बेड़कल्ला, तहसील– जैतारण जिला– पाली राज0।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम

तारीख रजू:.07/08/2018

उपस्थितः–

1. श्री ओमप्रकाश पंचारिया, अधिवक्ता, प्रार्थीगण।
2. श्री चुतराराम भाटी एवं जगदीश सोलंकी, अधिवक्ता, अप्रार्थी।

–:: निर्णय ::– **दिनॉकः– 23/12/2020**

वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम का पेश किया कि ग्राम बैड़ कला, तहसील जैतारण, जिला पाली में स्थित खसरा नं. 99 में प्रार्थी के स्व. पिता श्री करणसिंह के द्वारा राजस्थान भू– राजस्व अधिनियम 1956 के तहत् राजकीय सिवाय चक्र भूमि पर अतिक्रमण कर पशुओं के बांधने, पशुओं के चारे हेतु छप्पर के निर्माण करने बाबत् बाड़ा बनाया गया था। जिस पर हमारे स्व. पिताजी करणसिंह का 1966 तक लगातार कब्जा रहा। यह है कि पिताजी के मृत्यु उपरान्त 1966 से 1970 तक उक्त बाड़े पर हम तीनों भाई क्रमशः पाबुसिंह, खिंवसिंह, धनसिंह पुत्र स्व. श्री करणसिंह का सामलाती कब्जा रहा है। उक्त गैर मुमकिन बाड़े पर सन् 1955 से 1970 तक लगातार पाबुसिंह, खिंवसिंह एवं धनसिंह पुत्र स्व. श्री करणसिंह के होने के कारण सरकारी भूमियों पर अनाधिकृत रूप से 31 जुलाई 1970 से पूर्व तक के बनाये गये मकान व बाड़ो का नियमन बाबत् राज्य सरकार द्वारा जारी पत्र संख्या प6(17)राज/ख/71 दिनांक 03.07.1971 की पालना में तत्कालीन तहसीलदार द्वारा उक्त बाड़े की एक सनद (पट्टा) पाबुसिंह पुत्र स्व. श्री करणसिंह तथा दूसरी सनद खिंवसिंह, धनसिंह पुत्र स्व. श्री करणसिंह के नाम नियमानुसार नियमन राशि ली जाकर जारी किये गये जिनकी फोटो प्रति संलग्न है। हमारे द्वारा दिनांक 30,04.2018 को खसरा नं. 99/1 की जमाबन्दी नकल सम्वत् [illegible] के बाद ही यह ज्ञात हुआ कि उक्त नियमन किये गये बाड़े का राजस्व रिकार्ड में सहवन से हमारे सगे बड़े भाई पाबुसिंह पुत्र स्व. श्री करणसिंह अकेले के नाम [illegible] से दर्ज कर लिया गया, जबकि उक्त बाड़े की भूमि को राजस्व रिकार्ड में हमारे पिता स्व. श्री करणसिंह के तीनों पुत्रो क्रमाशः पाबुसिंह, खिंवसिंह एवं धनसिंह के नाम भी दर्ज किये जाने चाहिये थे, जो सहवन से नहीं किये गये। हमारे तीनों भाईयों कि कृषि भूमि खाता संख्या 268 एवं 269 की वर्तमान बन्दी फोटो प्रतियां अवलोकनार्थ संलग्न है जिसमें भी उक्त भूमि शामलाती रूप से हम तीनों भाईयों के नाम खातेदारी से दर्ज है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2021.01.12 14:54:31 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी जैतारण (पाली)

क जमाबन्दीयों में हमारे बड़े भाई श्री पाबुसिंह जी की मृत्यु उपरान्त इनके पुत्र
भवानीसिंह का नाम उक्त खातों में दर्ज है। उपरोक्त तथ्यों एवं सबुतों के आधार पर प्रार्थी
कि निम्न प्रार्थना है कि– (1) यह है कि उक्त प्रकरण में तत्कालीन राजस्व
कर्मचारियों/अधिकारियों द्वारा सहवन से केवल पाबुसिंह पुत्र स्व. श्री करणसिंह अकेले के
नाम पर उक्त भाड़ा खातेदारी से दर्ज कर दिया गया जबकि श्री पाबुसिंह जी के
साथ–साथ खिंवसिंह, धनसिंह पुत्र स्व. श्री करणसिंह का नाम भी खातेदारी से दर्ज किया
जाना चाहिये था, जो सहवन से दर्ज करने से शेष रह गया। अतः निवेदन है कि प्रार्थना
पत्र स्वीकार किया जाकर वर्तमान राजस्व रिका॰र्ड खसरा नं. 99/1 किस्म गैरमुमकिन
बाड़ा में भवानीसिंह पुत्र श्री पाबुसिंह के साथ खिंवसिंह, धनसिंह पुत्र स्व. श्री करणसिंह
का नाम खातेदारी से जोड़ा जाकर शुद्धि का आदेश फरमावें।

प्रार्थी का वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये समन वास्ते जवाबदावा
सा. मि. है।
तलब किये गये। प्रतिवादी की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र पेश हुआ,

तहसीलदार जैतारण ने जवाब प्रार्थना पत्र में व्यक्त किया कि बिन्दू संख्या
01. वादी का कथन अस्वीकार हैं। तथ्यों को सिद्ध करने की जिम्मेदारी वादी की है।
बिन्दू संख्या 02 वादी का कथन अस्वीकार है। बिन्दू संख्या 03 माफिक राजस्व रेकर्ड में
इन्द्राज सम्बन्धी तथ्य स्वीकार है। बिन्दू संख्या वादी के कथन अस्वीकार है। राजस्व
नियमों के अन्तर्गत नियमन पुराने कब्जे काश्त के अन्तर्गत किया जाता है। इसमें
नियमन भूमि में अन्य कियी को हक अधिकार प्रदान किया जाना उचित प्रतीत नहीं
होता है। बिन्दू संख्या 06 कृषि भूमि एवं नियमन भूमि की तुलना किया जाना उचित
नहीं है। अतः वादी के कथन अस्वीकार है। बिन्दू संख्या 07 इसमें वादी द्वारा इस्तदूआं
की गई है। वादी कथन अस्वीकार है, क्योंकि उक्त प्रकरण राज0 काश्तकारी अधिनियम
1955 की धारा 136 के प्रावधानों के विपरीत प्रतीत हो रहा है। इसके अलावा जिस
काश्तकार के हक अधिकार प्रभावित हो रहे है। उन्हें पक्षकार नहीं बनाया गया है।
न्यायहित में पक्षकार बनाया जाकर सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया जाना उचित
होगा।

जबाब प्रार्थनापत्र अप्रार्थी संख्या दो की और से निम्नलिखित है कि
प्रार्थनापत्र के पद संख्या एक का जबाब है कि ग्राम बैडकलां तहसील जैतारण मे स्थित
खसरा नम्बर 99/1 रकबा 11 बिस्वा पर अप्रार्थी संख्या दो का वक्त आवंटन से पहले
कब्जा चला आ रहा है अप्रार्थी संख्या दो शुरु से काश्तकार था। जबकि प्रार्थी संख्या एक
ऐयर फोर्स मे नौकरी करते थे प्रार्थी संख्या दो 50 वर्षो से मद्रास मे व्यापार करता है।
मौके पर कब्जे के आधार अप्रार्थी संख्या दो के पिता पाबूसिंह स्वयं द्वारा आवेदन करने
पर उक्त बाडा का आवंटन केवल मात्र अप्रार्थी के पिता पाबूसिंह अकेले के नाम किया
गया। अप्रार्थी संख्या दो के आवंटन सुदा बाडे पर प्रार्थीगण का कोई कब्जा नही रहा
उक्त तथ्य के अलावा पुरा फिकरा गलत होने से अस्वीकार है। प्रार्थनापत्र के पद संख्या
दो का जबाब है कि प्रार्थी के पिताजी के मृत्यु के उपरान्त उक्त बाडे पर हम तीनो
भाईयो का सामलाती कब्जा रहा है जो पूर्णतया गलत है क्योंकि प्रार्थी संख्या एक सन्
1971 मे वायुसेना में कार्यरत थे तथा प्रार्थी संख्या दो पिछले 50 वर्षो से चैन्नई मे
व्यापार करते है इसलिए इनका कोई उस वक्त कब्जा भी नही था केवल मात्र पाबुसिंह
का कब्जा होने के आधार पर अकेले पाबूसिंह के नाम सनद जारी हुई। इसलिए प्रार्थीगण
का कोई नाम जोडने का प्रश्न ही पैदा नही होता है। प्रार्थनापत्र के पद संख्या तीन का

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2021.01.12 14:54:31 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर पदेन
उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

जबाब है कि तथ्य को बार बार अपने प्रार्थनापत्र मे लिखा कि बाडे पर पाबुसिंह, खीवसिंह, धनसिंह का कब्जा रहा जो पूर्णतया गलत है अप्रार्थी संख्या दो के पिता पाबुसिंह का अकेला का कब्जा होने के आधार पर पाबुसिंह अकेले के नाम आवेदन होने से खसरा नम्बर 99/1 अप्रार्थी संख्या दो के पिता पाबूसिंह के नाम से आवंटन हुई आवंटन ही केवल मत्र पाबुसिंह के नाम है तो उसमे सेवन से नाम हरह जाने के तथ्य पूर्णतया गलत है जो प्रार्थीगण के प्रार्थनापत्र से भी साबित है प्रार्थीगण ने लिखा कि एक सनद पट्टा पाबूसिंह पुत्र किरणसिंह तथा दुसरी सनद खिंवसिंह, धनसिंह पुत्र करणसिंह के नाम से नियमानुसार नियमन राशि ली जाकर जारी की गई है यानि प्रागिण के नाम अलग से सनद जारी की हुई है तो अप्रार्थी संख्या दो के पिता के नाम सनद जारी मे सेवन से नाम दर्ज नहीं होने गलत लिखा है उक्त तथ्य के अलावा पुरा फिकरा गलत होने से अस्वीकार 57 यह है कि प्रार्थनापत्र के पद संख्या चार का जबाब है कि केवल मात्र उक्त झुठा प्रार्थनापत्र पेश करने के आशय से लिखा कि दिनांक 30/04/2018 को खसरा नम्बर 99/1 की जमाबन्दी नकल संवत 2029-32 प्राप्त कियेजाने के बाद यह ज्ञात हआ जबकि प्रार्थी संख्या एक पहले एयरफोर्स मे नौकरी की तथा राजस्थान प्रशासनिक सेवा मे सेवानिवृत है उक्त नियमन किये गये बाडे का केवल अप्रार्थी संख्या दो के पिता का कब्जा होने व अप्रार्थी संख्या दो के पिता द्वारा आवेदन करने पर अकेले पाबूसिंह के नाम आवंटन सुदा भूमि है एवं प्रार्थीगण ने अपने प्रार्थनापत्र मे लिखा हमारे नाम की दुसरी सनद जारी की हुई है इसलिए सेवन से राजस्व रेकर्ड मे सेवन से नाम दर्ज नही किये जाने का प्रश्न ही पैदा नही होता है। उक्त तथ्य के अलावा पुरा फिकरा गलत है। प्रार्थनापत्र के पद संख्या पांच का जबाब है कि खाता संख्या 268 व 269 की वर्तमान जमाबन्दी की प्रति संलग्न है कृषि भूमि पैतृक पुश्तैनी है लकिन उक्त बाड़े की भूमि पर कब्जा केवल मात्र पाबूसिंह का होने के आधार पर नियमन की नियमन भूमि मे अन्य किसी को हक अधिकार कानूनन प्रदान नही किया जा सकता हैं इसलिए कृषि भूमि एवं नियमन भूमि की तुलना नही की जा सकती है। प्रार्थनापत्र के पद संख्या सात का जबाब है कि तत्कालीन राजस्व कर्मचारियो व अधिकारीयों द्वारा विधिवत् कब्जे की जांच कर विधि अनुरूप आवेदन पत्र पाबूसिंह के नाम होने से सनद जारी की एवं प्रार्थीगण ने अपने प्रार्थनापत्र मे लिखा कि हमारे नाम की सनद अलग जारी हुई है इसलिए राजस्व अधिकारीयो ने कब्जा के आधार पर सनद अकेले पाबूसिंह के नाम होने से विधि अनुरूप के अनुसार पाबूसिंह अकेले का नाम सही दर्ज किया अप्रार्थी संख्या दो के पिता के नाम की नियमन बाड़े मे प्रार्थीगण का कोई हक अधिकार हिस्सा कानूनन नही बनता है। इसलिए प्रार्थीगण का प्रार्थनापत्र रेकर्ड दुरूस्ती की परिभाषा मे नही आने से खारिज फरमाया जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया, प्रार्थना पत्र प्रार्थी... व प्रार्थना पत्र तहसीलदार, जैतारण व अप्रार्थी संख्या 02 का ... की बहस को ध्यानपूर्वक सुनते हुए संगत विधिक प्रावधानों का ... किया। पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि प्रार्थीगण द्वारा धारा 136, राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 का प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत कर मुख्य रूप से यह अनुतोष चाहा है, कि ग्राम- बेड़कलां तहसील- जैतारण के खसरा संख्या 99 में राजस्व विभाग के पत्रांक प6(17)राज/ख/71दिनाँक 03.07.1971 की अनुपालना में तत्कालिन तहसीलदार, द्वारा नियमन राशि लेकर गैर मुमकिन द्वारा नियमन प्रयोजनार्थ दो सनद क्रमशः 1. पाबुसिंह

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2021.01.12 14:54:31 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर पदेन
उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

पुत्र स्व श्री करणसिंह, 2. खिंवसिंह, धनसिंह पुत्र स्व. करणसिंह जारी की, परंतु राजस्व कार्मिकों द्वारा सहवन से केवल पाबुसिंह पुत्र स्व. श्री करणसिंह अकेले के नाम उक्त बाड़े की खातेदारी दर्ज कर दी गई, अतः जरिए शुद्धि पाबुसिंह के साथ-साथ खींवसिंह, धनसिंह पुत्र स्व. श्री करणसिंह का नाम भी बतौर खातेदारी दर्ज किया जावें।

प्रार्थीगण द्वारा प्रश्नगत दोनों मूल सनद प्रस्तुत नहीं कर कथन किया कि मूल सनद उनके पास नहीं है तथा प्रतिलिपि प्रस्तुत की जिसका अवलोकन किया गया जिसके अनुसार पाबुसिंह पुत्र स्व. श्री करणसिंह के नाम जारी कथित सनद में नियमन किए गए बाड़े का कुल रकबा 440 वर्ग गज दर्शित किया गया है तथा श्री खींवसिंह एवं धनसिंह पिसरान स्व. श्री करणसिंह के नाम जारी कथित सनद में कुल रकबा 893.33 वर्ग गज अंकित है।

जमाबंदी सम्वत् 2074-2077, ग्राम- बेड़कल्लां के अनुसार खसरा संख्या 99/1 का रकबा 0-10 बीघा अंकित है, जो अप्रार्थी भवानीसिंह पुत्र पाबूसिंह के नाम बतौर खातेदारी दर्ज हैं। हमनें अप्रार्थी भवानीसिंह को वादग्रस्त भूमि के नियमन, कुल रकबा एवं नामांतरण संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत करनें बाबत् निर्देशित किया, जिसकी पालना में अप्रार्थी भवानीसिंह द्वारा तहसीलदार, जैतारण को प्रस्तुत प्रतिलिपि आवेदन पत्र दिनांक 14.10.2020, नामांतरण पंजिका, जमाबंदी सम्वत् 2017-2020, 2021-2024, 2025-2028 की प्रतिलिपियां प्रस्तुत की, जिनके अवलोकन से स्पष्ट है कि अप्रार्थी भवानीसिंह के पिता पाबूसिंह के नाम ग्राम बेड़कलां के सिवाय चक मूल खसरा संख्या 99 में बाड़ा नियमन से नामांतरण स्वीकार किया जाकर खसरा संख्या 99/1 रकबा 0-10 बीघा अंकित करते हुए खातेदारी दर्ज की गई है, जो बदस्तूर जारी है। प्रार्थीगण द्वारा पाबूसिंह के नाम जारी सनद की प्रति में अप्रार्थी के पक्ष में नियमन किया गया कुल रकबा 440 वर्गगज अंकित है, जो 00-04-11 बीघा (अर्थात् 4 बिस्वा और 11 बिस्वांसी) होता है, अप्रार्थी इसके पक्ष में कोई दस्तावेज प्रस्तुत करनें में असफल रहा है, अतः अप्रार्थी इसके पक्ष में कोई दस्तावेज प्रस्तुत करनें में असफल रहा है, अतः अप्रार्थी के नाम दर्ज खसरा संख्या 99/1 कुल रकबा 0-10 बीघा को कम करते हुए 00-04-11 बीघा(अर्थात् 4 बिस्वा और 11 बिस्वांसी) दर्ज किया जाना विधि संगत रहेगा।

धारा 136, राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम- 1956 में निम्नानुसार विधिक प्रावधान हैः- ***"गलतीयों का शुद्धिकरण - भूमि अभिलेख अधिकारी किसी भी समय, किसी लिपिकीय गलतियों को विहित रीति से शुद्ध कर सकेगा या उन्हें शुद्ध करवा सकेगा जिनका अधिकार अभिलेख या रजिस्टर में कर दिया जाना हितबद्ध पक्षकार स्वाकीर करें या जिन्हें कोई राजस्व अधिकार किसी रजिस्टर में अपने निरीक्षण के दौरान नोटिस करें, परन्तु जब किसी राजस्व अधिकारी द्वारा अपने निरीक्षण के दौरान किसी भी अधिकार अभिलेख में किसी भी गलती को नोटिस किया जावें तो कोई भी ऐसी गलती तब तक शुद्ध नहीं की जाएगी जब तक कि पक्षकारों को हेतूक दर्शित करने का नोटिस नहीं दिया गया हो।"***

इस प्रकार यह स्पष्ट है कि धारा-136 के [illegible] अशुद्धियों को ही शुद्ध किया जा सकता है, जो अधिकार अभिलेख में दर्ज है, परंतु हस्तगत प्रकरण में जैसा प्रार्थीगण स्वयं यह स्वीकार करतें हैं कि उनके नाम भी सनद जारी हुई थी, परंतु नामांतरण दर्ज करते समय इनका नाम दर्ज नहीं किया तथा केवल पाबूसिंह के नाम नामांतरण दर्ज कर दिया गया। प्रार्थीगण स्वयं यह स्वीकार करते हैं कि प्रश्नगत भूमि के नियमन हेतु दो पृथक-पृथक सनद जारी हुई हैं। अप्रार्थीगण के पक्ष में जारी कथित

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2021.01.12 14:54:31 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर पदेन
उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

सनद का भू-अभिलेख में क्रियान्वयन ही नहीं हुआ है, अर्थात् नामांतरण की कार्यवाही नहीं हुई है, अतः ऐसी दशा में किसी प्रकार की भू-अभिलेख त्रुटि होनें का प्रश्न नहीं उत्पन्न नहीं होता हैं तथा प्रार्थीगण धारा 136, राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1957 के अंतर्गत अप्रार्थी संख्या दो के साथ स्वयं का नाम वादग्रस्त भूमि में बतौर खातेदार दर्ज नहीं करवा सकते हैं, क्योंकि ऐसा किया जाना विधिक रूप से क्षेत्राधिकार से परे होगा।

अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर हमारा यह विनम्र अभिमत है कि ग्राम- बेड़कलां के खसरा संख्या 99/1 रकबा 0-10 बीघा में चुंकि अप्रार्थी संख्या दो के पिता पाबुसिंह के पक्ष में 00-04-11 बीघा (अर्थात् 4 बिस्वा और 11 बिस्वांसी) बीघा भूमि का ही गैर मुमकिन बाड़ा प्रयोजनार्थ नियमन हुआ था, अतः उक्त खसरे में त्रुटिपूर्ण रूप से अधिशेष दर्ज रकबा 0-10 बीघा को कम करते हुए वास्तविक नियमन् रकबा अर्थात् 00-04-11 बीघा (अर्थात् 4 बिस्वा और 11 बिस्वांसी) अंकित किया जाना, अधिशेष से कम किया गया रकबा को मूल खसरे के रकबे में मिलाया जाना तथा प्रार्थीगण के पक्ष में जारी कथित सनद का क्रियान्वयन/नामांतरण नहीं होनें से भू-अभिलेख में त्रुटि की शुद्धि करते हुए प्रार्थीगण का नाम वादग्रस्त भूमि में अप्रार्थी संख्या दो के साथ बतौर खातेदार दर्ज करनें की इस्तदुआ साबित नहीं होनें एवं विधि बाह्य होनें से प्रार्थीगण का प्रार्थना-पत्र अस्वीकार किया जाना विधि संगत एवं उचित होगा।

-:: आदेश ::-

अतः उपर्युक्त विवचेन के आलोक में प्रार्थना-पत्र प्रार्थीगण अंतर्गत धारा-136, राज. भू राजस्व अधिनियम, 1956 बखूबी साबित नहीं होने तथा सारहीन होने से अस्वीकार/खारिज किया जाता है, अप्रार्थीगण संख्या दो के खाते में खसरा संख्या 99 में से मूल नियमित रकबा 00-04-11 बीघा (अर्थात् 4 बिस्वा और 11 बिस्वांसी) होने, परन्तु जमाबन्दी में त्रुटिपूर्ण रूप से इसे खसरा संख्या 99/1 में कुल रकबा 0-10 बीघा अंकित करना त्रुटिपूर्ण साबित होने से तहसीलदार जैतारण को निर्देशित किया जाता है कि वह खसरा संख्या 99/1 में से अधिशेष रकबा कम करते हुए इसे वास्तविक रूप से नियमन् रकबा अर्थात 00-04-11 बीघा (अर्थात् 4 बिस्वा और 11 बिस्वांसी) दर्ज करते हुए शुद्धिकरण की प्रविष्टि करें तथा अधिशेष रकबा को मूल खसरा संख्या 99 में सम्मलित करते हुए सिवाय चक खाता सरकार दर्ज करें। तहसीलदार जैतारण को पालनार्थ तहरीर जारी हो। पत्रावली इसी कदर निर्णित होकर संख्या से एक कम होते हुए दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी, जैतारण
(जिला-पाली)

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2021.01.12 14:54:31 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय आज दिनाँक 23/12/2020 को सर-ए-इजलास में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी, जैतारण
(जिला-पाली)